

राजस्थान की मीणा जनजाति में शिक्षित समाज बनाम दहेज प्रथा: एक केस अध्ययन

Rishi Raj Meena*

Research Scholar

सार - यह अध्ययन राजस्थान की मीणा जनजाति में शिक्षा और दहेज की मांग और नौकरियों में ग्रेड वेतन के अनुसार मांगी जाने वाली दहेज की राशि पर केंद्रित है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, लोगों की मानसिकता को बदलना और संगठित क्षेत्र में अत्यधिक सक्रिय रहने वाली मीणा जनजाति में दहेज की मांग को कम करना था। इस अध्ययन के लिए 61 लोगों को चुना गया और सरकारी क्षेत्र में ग्रेड पे के अनुसार उनके शिक्षा स्तर और दहेज की राशि के बारे में जानकारी दी गई। राजस्थान राज्य के जयपुर जिले से जयपुर शहर में जमींदार और चौकीदार मीणा से जानकारी एकत्र की गई। शोधकर्ता ने युवाओं से यह भी जानकारी मांगी कि या तो उन्हें नई नौकरी मिली है या वे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे दहेज की मांग करेंगे क्योंकि यह उनके समाज में लोगों के मानक को दर्शाता है उच्च ग्रेड वेतन वाली नौकरी उच्च दहेज राशि, दहेज एक प्रतियोगिता बन गई है युवा पीढ़ी के बीच . जो लोग दहेज की मांग नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके मातापिता ने समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए उन्हें ऐसा करने - के लिए मजबूर किया, कुछ मातापिता ने अपने बेटों को भारी दहेज राशि प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड वेतन वाली नौकरी - पानेके लिए मजबूर किया, यह उच्च ग्रेड वाली नई पीढ़ी का एक समूह बन गया। अधिक मात्रा में दहेज देना इस प्रकार एक सामाजिक प्रथा बन गया जिसे टाला नहीं जा सका.

कीवर्ड - शिक्षा, राजस्थान, मीणा, नौकरी, प्रथा, दहेज, जनजाति.

X

परिचय

राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 10% से अधिक मीणा जनजाति हैं हैं। [1] 1954 में मीणाओं को एसटी सूची में शामिल किया गया और पुलिस और प्रशासन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उनका काफी दबदबा बन गया। इनका संकेन्द्रण मुख्यतः सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर तथा दौसा जिले में है। मीणाओं में अपने अधिकारों के प्रति बेहतर जागरूकता है। [2,3] वे प्रगतिशील हैं और उनकी सामाजिक स्थिति बेहतर है। मीणा को राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति माना गया है। [4,5] मीणाओं में भूमध्यसागरीय " विशेषताएं अधिक स्पष्ट हैं। वे मूल रूप से अच्छी तरह से बसे हुए कृषक हैं और राजस्थान के सबसे उपजाऊ क्षेत्र पर कब्जा करते हैं। ऐतिहासिक तथ्य और कमजोरियाँ इस बात पर जोर देती हैं कि मीणा राजस्थान के सबसे पुराने निवासियों में से हैं। उनकी आबादी 3,799,921 होने का अनुमान लगाया गया है)2011 की जनगणनालगभग। ([6]

मीणा आदिवासी दूरदराज और दुर्गम इलाकों में रहते हैं जहां वे अपना अस्तित्व बंजर भूमि तक ही सीमित रखते हैं। [7] संयुक्त परिवार प्रणाली, बाल विवाह प्रणाली, पर्दा प्रणाली, प्रथागत जीवनयापन के माध्यम से उनके अपने - आनंद हैं। आम तौर पर, मीणा आदिवासी समाज एक पुरुष प्रधान समाज है जहां पुरुष सदस्य महिलाओं की तुलना में बेहतर और विशेषाधिकार प्राप्त जीवन का आनंद लेते हैं। [8] जब बच्चे 5 या 6 साल के होते हैं तब से ही उन्हें घर और खेतों में कड़ी मेहनत करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। धार्मिक विचारधारा वाले और रिश्तेदारी के प्रेमी होने के कारण, वे घरों और मंदिरों में विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। साथ ही, वे अपने रिश्तेदारों के साथ आनंद के पल बिताने में भी आनंद की तलाश करते हैं। यद्यपि मीणा महिलाएं कमजोर नहीं हैं [9]

वे अपनी देनदारियों को सफलतापूर्वक साझा करने के लिए काफी साहसी हैं। वे न केवल अपना घर संभालती हैं

यद्यपि अपने पतियों और परिवार के अन्य सदस्यों की मदद करने के लिए खेतों में भी काम करती हैं। [10] हालाँकि, मीणा महिला लंबे समय से पैसे के मामले में आत्मनिर्भर होने की इच्छुक रही हैं, क्योंकि वह खुद को अपने पति और परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों के हाथों में नाचने वाली कठपुतली के रूप में पाती है। [11] उनका सार्वजनिक जीवन उन्हें किसी भी तरह की आजादी नहीं देता लंबे समय से चली आ रही परंपराओं और संस्कृति में जकड़ी हुई, वह अपने मातापिता द्वारा चुने गए व्यक्ति के साथ अपने बाल-विवाह के माध्यम से, अपने घर और बच्चों के प्रबंधन के माध्यम से, और अपने पारिवारिक जीवन के सरल आनंद के माध्यम से संतुष्टि का आनंद लेती है।[

जमींदार मीणा पारंपरिक रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं और वे खुद को राजपूतों के बराबर क्षत्रिय होने का दावा करते हैं। स्थानीय सामाजिक अनुष्ठान-पदानुक्रम में वे एक स्वच्छ जाति की स्थिति का आनंद लेते अंग्रेजों ने चौकीदार मीणा को सेना का सिपाही बनाया, जो केंद्रीय सीमा के काल में कार्यरत था, यह देखने के लिए नियमित आधार पर पोस्ट पर रिपोर्ट करें कि क्या वह अच्छा नहीं था। इसलिए वे चौकीदार मीणा के नाम से जाने जाते थे। चौकीदार मीणा अधिकतर राजस्थान राज्य के शेखावाटी क्षेत्र के निवासी हैं।

राजस्थान में मीणा जनजाति जयपुर में हैं। समस्या यह उत्पन्न होती है कि मीणा जनजातियों में शिक्षा स्तर और वेतन उन्मुख नौकरियों से दहेज की समस्या बढ़ जाती है, और शिक्षा स्तर से दहेज के प्रति मानसिकता बदल जाती है।[12]

उद्देश्य

1. शिक्षा स्तर निर्धारित करने के लिए दहेज प्रथा के प्रति मीणाओं की मानसिकता में परिवर्तन लाना।
2. मीणा समाज में वेतन ग्रेड पे के अनुसार मांगी जाने वाली दहेज की राशि का पता लगाना।

परिकल्पना

- 1) उच्च शिक्षा स्तर ने दहेज की मांग को कम कर दिया।
- 2) नौकरियों में ग्रेड पे बढ़ने से दहेज की मांग कम हो गई।

कार्यप्रणाली

मीणा जनजाति में दहेज प्रथा, लोगों की नौकरी ग्रेड वेतन और दहेज की मांग के प्रति लोगों के शिक्षा स्तर और मानसिकता को निर्धारित करने के लिए प्राथमिक डेटा एकत्र किया जाएगा। संरचित प्रश्नावली और नमूना एकत्रित तकनीक उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण की सहायता से डेटा एकत्र किया गया। एकत्रित डेटा को सरल सांख्यिकीय उपकरणों की मदद से कोडित, वर्गीकृत और सारणीबद्ध किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। परिणाम ग्राफ और चित्रलेख तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। दो पुच्छीय वितरण द्वारा परिकल्पना का महत्व 99% स्तर पर परीक्षण किया जाएगा। द्वितीयक डेटा सरकारी रिपोर्टों, शोध पत्रों, लेखों, समाचार पत्रों आदि से एकत्र किया जाएगा।

61 लोगों से उनकी शिक्षा के स्तर और नौकरी के ग्रेड पे के आधार पर जानकारी एकत्र की जाएगी। यह जानकारी जयपुर शहर से एकत्रित की गई है जहाँ मीणा जातियाँ अत्यधिक संख्या में हैं

परिणाम

61 लोगों की जानकारी एकत्र की गई है और नीचे दी गई तालिकाओं में शिक्षा स्तर और ग्रेड वेतन और दहेज की मांग की गई राशि के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। शिक्षा के स्तर और दहेज स्वीकार करने वाले या दहेज की मांग करने वालों की प्रतिक्रिया, नौकरी के ग्रेड वेतन और दहेज की मांग की गई राशि के बीच संबंध जानने के लिए सरल सहसंबंध का उपयोग करें।

तालिका 1: शिक्षा स्तर और दहेज लोगों की प्रतिक्रिया की मांग करता है

| शिक्षा का स्तर | 12 वीं | स्नातक | पोस्ट ग्रेजुएशन | कुल |
|----------------|--------|--------|-----------------|-----|
| हैं | 3 | 32 | 19 | 54 |
| नहीं | 2 | 4 | 1 | 7 |
| कुल | 5 | 35 | 20 | 61 |

स्पीयर्स मैन रैंक सहसंबंध, दी गई रैंकिंग में शिक्षा समूह में शिक्षा स्तर और दहेज की मांग के बीच संबंध विकसित करने के लिए मापता है और शिक्षा समूह के उत्तरदाताओं द्वारा मांगे गए दहेज की वास्तविक और अनुमानित रैंकिंग के बीच अंतर को मापता है, जिसे di, n द्वारा दर्शाया जाता है, की संख्या है रैंकिंग की इकाइयाँ या संख्या। तो, शिक्षा स्तर की रैंकिंग को आरोही क्रम में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल को पहली रैंकिंग और ग्रेजुएशन लेवल को दूसरी रैंकिंग और 12वीं लेवल को तीसरी रैंकिंग दी गई है। मीणा

जनजाति में ग्रेजुएट लोग सबसे ज्यादा हैं क्योंकि सरकारी नौकरियों में ज्यादातर ग्रेजुएट उम्मीदवार की आवश्यकता होती है, इसलिए इन लोगों की प्रतिक्रिया के अनुसार यह सबसे ज्यादा है, पहली रैंकिंग पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को दी जाती है और दूसरी रैंकिंग ग्रेजुएट लोगों को दी जाती है, तीसरी रैंकिंग 12 वीं कक्षा के लोगों को दी जाती है। लागू किए गए फॉर्मूला से दोनों चरों के बीच +.5 सहसंबंध मिलता है।

तालिका 2 मीणा जनजाति में लोग दहेज की मांग करते हैं :

| दहेज की मांग | |
|--------------|------|
| हाँ | नहीं |
| 90 | 10 |

यह इंगित करता है कि जैसे-जैसे लोगों का शिक्षा स्तर बढ़ता है, दहेज की मांग भी उसी अनुपात में बढ़ती है, मास्टर डिग्री धारक लोगों ने सबसे अधिक उत्तर दिया "हाँ" कि उन्होंने दहेज की मांग की है, 20 में से केवल 1 ने इनकार कर दिया कि उसने मांग नहीं की है। इसमें 5% मास्टर डिग्री धारक हैं जबकि 95% ने स्वीकार किया कि वे दहेज मांगते हैं। इसमें यह भी पाया गया है कि अधिकांश लोगों के पास स्नातक की डिग्री है और 12वीं कक्षा की शिक्षा का स्तर अन्य लोगों की तुलना में लगभग कम है

तालिका 3: मीणा जनजाति में ग्रेड वेतन और दहेज राशि

| ग्रेड वेतन (₹.) | दहेज राशि (₹.) |
|-----------------|----------------|
| 1800 | 8,00,000 |
| 1900 | 10,50,000 |
| 2800 | 15,00,000 |
| 4200 | 24,00,000 |
| 4600 | 40,00,000 |
| 4800 | 50,00,000 |
| 5400 | 1,00,00,000 |
| 6600 | 2,00,00,000 |

यह दहेज राशि जमींदार मीणा द्वारा तय की जाती है जबकि चौकीदार मीणा में दहेज राशि तय नहीं की जाती है। जैसे-जैसे ग्रेड पे बढ़ता गया, दहेज की मांग भी बढ़ती गई। सहसंबंध गणना के अनुसार ग्रेड वेतन और दहेज राशि के बीच अत्यधिक सकारात्मक संबंध पाया गया, (+.99) सहसंबंध पाया गया।

निष्कर्षों के अनुसार परिकल्पना का परीक्षण माध्य के 99% महत्व स्तर पर किया गया, एक पुच्छ परीक्षण का उपयोग

किया गया- नमूने का माध्य-18, नमूना मानक विचलन 14.53, और जनसंख्या-आकार और माध्य क्रमशः 60 और 20 हैं। टी स्कोर परीक्षण मान पाता है = - 1.06694, पी मान = 0.1430 जो महत्व स्तर 99 से कम है, पी मान 0.1990 होना चाहिए। इसलिए, शून्य परिकल्पना को खारिज कर दिया गया और वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार कर लिया गया, जिसका अर्थ है कि लोगों की दहेज मांगने की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है, जबकि यह दर्शाता है कि जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा, दहेज की मांग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी।

डेटा संग्रह के दौरान लोगों ने बताया कि दहेज की राशि अधिक होने के कारण उन्हें अपनी बेटियों की शादी करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चौकीदार मीणा की एक विधवा महिला ने बताया कि उसे अपनी बेटियों की शादी करने में समस्या आ रही है क्योंकि चौकीदार मीणा में दहेज की मांग अधिक है, वह अपनी बेटियों की शादी सरकारी नौकरी वाले लड़के से करना चाहती है। दहेज मांगने की एक बड़ी होड़ है क्योंकि लड़के और उनके माता-पिता इसे समाज में अपनी स्थिति और मानक मानते हैं कि उनके बेटे को भारी दहेज मिला है। इसलिए, यह दो पक्षों के बीच अपने बच्चों की शादी करने का पहला सौदा बन गया है। जमींदार मीणा में शादी तय की जाती है लेकिन माता-पिता दहेज की रकम के आधार पर लड़की और लड़के की पसंद नहीं पूछते हैं, जबकि चौकीदार मीणा में सबसे पहले लड़की और लड़के दोनों से पसंद पूछी जाती है कि क्या वे शादी करना पसंद करते हैं, अगर उन्होंने हाँ कहा तो माता-पिता तय करते हैं कि कैसे। शादी में काफी दहेज दिया जाएगा। नतीजतन, चौकीदार मीणा जमींदार मीणा की तुलना में आधुनिक हैं। चौकीदार और जमींदार मीणा में भी बड़ा अंतर है दहेज की मांग, जमींदार मीणा नकदी और वाहन, आभूषण आदि की मांग करते हैं। क्या चौकीदार मीणा दहेज में वाहन की मांग करते हैं; चौकीदार मीणा अपने बेटों की शादी के लिए लड़कियों की योग्यता देखते हैं। हालाँकि, चौकीदार समाज में भी पुरुषों का वर्चस्व है लेकिन जमींदार मीणा के रूप में नहीं, कुछ मामलों में प्रेम विवाह को भी स्वीकार किया जाता है यदि लड़की और लड़का दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं। लड़की के माता-पिता चाहते हैं कि उनकी बेटे की शादी शहर में हो और लड़के के पास सरकारी नौकरी हो, शादी के लिए सरकारी नौकर की लगातार बढ़ती मांग अप्रत्यक्ष रूप से शादी के बाजार में दहेज की रकम को बढ़ाती है।

लड़कियों की शिक्षा भी बढ़ी लेकिन दहेज की रकम कम नहीं हुई क्योंकि

लड़के दहेज की बड़ी रकम पाने के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, इसलिए यह रिश्तेदारों और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की एक शैली बन गई है। शिक्षा का स्तर लड़के और लड़कियों के बीच के अंतर को कम करने में मदद नहीं कर सका।

यह अध्ययन भी अन्य अध्ययनों के समान है जो दहेज की मांग पर केंद्रित है क्योंकि पुरुषों की नौकरी का स्तर बढ़ता है और माता-पिता अपनी बेटियों की शादी उच्च वेतन वाली और निश्चित भुगतान वाली नौकरी में करना चाहते हैं। इसलिए सरकारी नौकरों में लड़कियों से शादी करने की मांग बढ़ जाती है या इसका सीधा संबंध सरकारी नौकरी और दहेज की रकम की मांग से होता है। परंपराएँ और रीति-रिवाज स्थिर हैं। इसलिए, विकासशील देशों में शिक्षा लोगों की मानसिकता को बदलने में मदद नहीं करती है।

मीणा जनजाति में शिक्षा उनकी मानसिकता को बदलने या सामाजिक बुराइयों को छोड़ने का प्रभावी कारक नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप लड़कियों को जन्म देने में डर पैदा होगा। यह लोगों को लड़कियों की भ्रूण हत्या करने के लिए प्रेरित करेगा। क्योंकि भविष्य में यह रकम लगातार बढ़ाई जाएगी। वाकई यह समाज और राज्य के लिए एक बड़ा मुद्दा है। दहेज से लड़कियों की शिक्षा प्रभावित होगी क्योंकि उनकी शादी के लिए दहेज की राशि देने के लिए पैसे बचेंगे क्योंकि भारत में लड़कियों के लिए समाज में रहने के लिए शादी एक आवश्यक कार्य है, लोग कम उम्र में अपनी बेटियों की शादी नहीं करने पर माता-पिता को ताना मारते हैं। अगर लड़कियां शादी नहीं करती तो यह समाज में एक बड़ा मुद्दा बन जाता था। 21वीं सदी के इस भारतीय समाज में भी पुरुष केंद्रित समाज रहा, कोई भी जाति इस प्रथा से दूर नहीं रही, चाहे सरकार ने दहेज को रोकने के लिए कई कदम उठाए लेकिन फिर भी असफल रही। दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों में बदलाव किया जाना चाहिए, जो शादी के समय दुल्हन को उपहार देने की अनुमति देता है। उपहार के मूल्य को मौद्रिक मूल्य में माना जाना चाहिए और इस मूल्य को तय किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समाज में अपरिहार्य प्रथा बन गई है, बिना सख्त कानूनों के इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट को भी इस प्रथा में हस्तक्षेप करना चाहिए और कोर्ट मैरिज हर समाज के लिए अनिवार्य होनी चाहिए और शादी के समय दुल्हन को दी जाने वाली सामग्री का बिल के साथ एक मेन्ू भी रखना चाहिए। यह दहेज के मामलों को अदालत में ले जाने और दहेज की राशि

का दावा करने में सहायक होगा। इससे अदालत को यह तय करने में भी मदद मिलती है कि दहेज का यह मामला वैध है या अवैध। कोर्ट मैरिज से बाल विवाह की समस्या कम हुई। सरकारी नौकरी करने वालों पर भी दहेज लेने और देने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, यदि वह ऐसा करता है तो उसे समय रहते नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। इससे लोगों में अपनी नौकरियाँ खोने का डर पैदा होगा। इस कदम से इस समस्या को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। ऐसी महिलाओं की उनके पति के घर में स्थिति की जांच करने के लिए एक समिति होनी चाहिए जो नवविवाहित हों, उनकी शादी से लेकर 10 साल तक क्योंकि उसके बाद दहेज की तीव्रता लगभग नगण्य हो जाती है। शादी के बाद कोर्ट में पेश होना अनिवार्य होना चाहिए, साल में दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई झगड़ा नहीं है और सब कुछ ठीक चल रहा है।

निष्कर्ष

यह निष्कर्ष निकाला गया है कि दहेज एक सामाजिक प्रथा है और रीति-रिवाजों को अचानक बदलना बहुत मुश्किल हो गया है, रीति-रिवाजों का पालन करने से लोगों के बीच मजबूत एकता और एकजुटता पैदा होती है। बहुत से लोग दहेज केवल इसलिए देते और लेते हैं क्योंकि उनके माता-पिता और पूर्वज ऐसा करते आए हैं। जब तक युवा पीढ़ी इस प्रथा को रोकने का साहस नहीं जुटाती और लड़कियां इसे अपनाते के लिए सामाजिक दबाव का विरोध नहीं करतीं, तब तक लोग इस प्रथा से चिपके रहेंगे। मीणा जनजाति दहेज प्रथा का महत्वपूर्ण रूप से पालन करती थीं और भारी दहेज की माँग करती थीं। नौकरी के ग्रेड पे के अनुसार सब कुछ तय है कि 1800 ग्रेड पे वाले पुरुषों से शादी करने के लिए उनके माता-पिता को 800000 रुपये दहेज देना होगा।

इस प्रथा में सरकारों के उच्च से लेकर निचले स्तर तक के कार्यालय शामिल हैं। ज़मींदार मीणा में यह गंभीर स्थिति है क्योंकि युवा पीढ़ी ने ऐसी लड़की से शादी की जिसके पास योग्यता नहीं थी, जिसे वह चाहता नहीं था लेकिन उसने उससे शादी की। उन्होंने ऐसा पारिवारिक दबाव या दहेज के लिए किया, अध्ययन के दौरान कुछ मामलों में पाया गया कि या तो पुरुषों ने पति-पत्नी में आपसी समझ पैदा करने में असमर्थता के कारण किसी अन्य लड़की से शादी कर ली या अदालत में तलाक दायर कर दिया। आखिरकार यह महिला की हानि है, और तलाक ने बच्चों का जीवन नष्ट कर दिया।

संदर्भ

1. फुल्लेले, आर.एम. (2018)। डेयरी पालन प्रथाओं के हस्तांतरण और अपनाने में बाधाएं। अखिल भारतीय डेयरी पालन अधिकारी कार्यशाला, 20-23 नवंबर, 1994, एनडीआरआई, करनाल में प्रस्तुत पेपर।
2. पांडे, ए.के. (2022)। बिहार के छोटानागपुर क्षेत्र में आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच पशुधन पालन प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन। पीएच.डी. थीसिस, एनडीआरआई, करनाल।
3. सिंह, ए.के. (2018)। करनाल जिले (हरियाणा) के डेयरी किसानों के ज्ञान और अपनाने के संबंध में डेयरी फार्मिंग नवाचारों की उपयुक्तता का अध्ययन। अप्रकाशित एम.एससी. थीसिस, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
4. आभा शर्मा (2019) घूंघट को त्यागें, बदलाव को अपनाएं: राजस्थान की असाधारण महिला सरपंच, द बेटर इंडिया, 21 अगस्त
5. मोनिका (2018) आदिवासी महिलाओं (सहरिया और मीणा) की पोषण स्थिति, राजस्थान, भारत का बारां जिला, एमराल्ड इनसाइट, मई।
6. नथाली विलियम्स (2019) सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षा, लिंग और प्रवासन, एचएचएस सार्वजनिक पहुंच; 38(4): 883-896।
7. संचारी पाल (2017) शीर्ष पर महिलाएं: ये 10 महिला सरपंच भारत के गांवों में एक शांत क्रांति का नेतृत्व कर रही हैं, द बेटर इंडिया, 7 फरवरी।
8. देवरा, आर. और देशमुख, डी. (2017), "आदिवासी छात्रों की पोषण स्थिति पर पौष्टिक भोजन का प्रभाव: महाराष्ट्र के दो जिलों के सरकारी आदिवासी आवासीय विद्यालयों में केंद्रीकृत रसोई (अन्नपूर्णा) और नियमित रसोई की तुलना , भारत", इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ, वॉल्यूम। 61 नंबर 4, पृ. 233-238.
9. घोष-जेराथ, एस., सिंह, ए., मैग्सुम्बोल, एम.एस., लिंगदोह, टी., कम्बोज, पी. और गोल्डबर्ग, जी. (2016), "महिलाओं के पोषक तत्वों के सेवन और पोषण संबंधी स्थिति के प्रति स्वदेशी खाद्य पदार्थों का योगदान झारखंड, भारत का संथाल आदिवासी समुदाय", सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण, वॉल्यूम। 19 नंबर 12, पृ. 2256-2267.
10. घोष, एस. (2020), "भारतीय आदिवासी आबादी के बीच पोषण की कमी और स्रोत", कोलेजियम एंट्रोपोलॉजिकम, वॉल्यूम। 38 नंबर 3, पृ. 847-853.
11. घोष, एस. और मलिक, एस. (2018), "भारत के एक आदिवासी समुदाय में स्वास्थ्य का आकलन और प्रशासन", द इंटरनेट जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, वॉल्यूम। 3 नंबर 2, यहां उपलब्ध है: <http://ispub.com/IJBA/3/2/7040>
12. गोपालन, सी., शास्त्री, एस.बी.वी. और बालासुब्रमण्यम, एस. (2017), भारतीय खाद्य पदार्थों का पोषक मूल्य, राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन), आईसीएमआर, नई दिल्ली।
13. गोस्वामी, एम. (2013), "जुआंगस के बीच अल्प पोषण की व्यापकता-ओडिसा, भारत के एक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह पर एक अध्ययन", एंट्रोकोम ऑनलाइन जर्नल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, वॉल्यूम। 9, पृ. 61-66.
14. नायक, डी.पी. और श्रीगिरि, एस. (2021), "विशाखापत्तनम जिले, आंध्र प्रदेश, भारत में आदिवासी महिलाओं की पोषण स्थिति पर एक अध्ययन", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, वॉल्यूम। 3 क्रमांक 8, पृ. 2049-2053।
15. रमाना, डी. और रानी, यू.डी. (2022), "प्रजनन स्वास्थ्य स्थिति- आदिवासी महिलाओं के मुद्दे और चिंताएं", जर्नल ऑफ इंटरनेशनल एकेडमिक रिसर्च फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी, वॉल्यूम। 2 नंबर 1.

Corresponding Author

Rishi Raj Meena*

Research Scholar